कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
Email-rscelluk@gmail.com

संख्या– /स0सु0/1–8(214)/ई–69047/2025 दिनांकः अप्रैल, 2025

समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा)
उत्तराखण्ड।
समस्त, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन)
उत्तराखण्ड।

विषयः– विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर ''सड़क हादसे (मार्च, 2025)'' के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर सड़क हादसे (मार्च, 2025) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत मार्च, 2025 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित 44 खबरों का उल्लेख किया गया है। जिनके अन्तर्गत बाईक का फिसलना, दो वाहनों की टक्कर, वाहन पलटने, वाहन के खाई में गिरने, खडी वाहन से टकराने, वाहन के ब्रैक फेल होने आदि के कारण दुर्घटनाअ घ ाटित होने सम्बन्धी समचार प्रकाशित किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में संबंधित सूची इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि अपने अधीनस्थ जनपदों में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उनकी रोकथाम हेतु जनपद की परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना बनाते हुए निम्नवत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंः–

1– अपने जनपद/क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन/तीर्थ यात्रा/शादी का सीजन अवसर पर क्षेत्र विशेष के संबंध में पूर्व तैयारी कर ली जाए और ऐसे क्षेत्रों में विशेष चैकिंग अभियान संचालित करते हुए वाहनों में ओवरलोडिंग को हतोत्साहित किया जाए।

2– सप्ताह के अन्तर्गत (शनिवार एवं रविवार) के दौरान काफी संख्या में पर्यटक देहरादून/मसूरी/नैनीताल एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर आवागमन करते है और देर सायं अथवा रात्रि में अपने गन्तव्य तक लौटते है। अतः सप्ताहन्त के दिवसों में अनिवार्य रूप से रात्रि चैकिंग सम्पन्न की जाए और इस अवसर पर नशे की हालत में वाहन चलाने एवं आवेरस्पीडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

3– सड़क सुरक्षा संबंधी अभियोगों (यथा–ओवरलोडिंग, ओवरस्वीडिंग, निर्धारित आकार से बड़े आकार की वाहन का संचालन, बिना फिटनेस, वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करना, बिना सीट बैल्ट, बिना हेल्मेट, वाहन की यांत्रिक दशा खराब होना, भारी वाहनों में अण्डर रन प्रोटेक्शन न होना, वाहनों में रिफलेक्टर न होना, स्पीड गवर्नर न होना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, बिना नम्बर प्लेट आदि) अभियोगों के विरूद्ध सघन प्रर्वतन की कार्यवाही की जाए।

4– कार्यालय स्तर पर एवं ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर वाहनों की फिटनेस जांच के समय वाहनों में अण्डर रन प्राटेक्शन, रिफलेक्टर, स्पीड गवर्नर एवं अन्य सड़क सुरक्षा

File No. TCOUK-RS01-8/24/2024-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 69047)
Generated from eOffice by MAHESH SINGH, TCO-SA-MAHESH.SINGH, SENIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 28/04/2025 10:52 am

संबंधी मानकों की कड़ाई से जांच की जाए और सभी प्रकार से स्वस्थ होने के उपरान्त ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

5— कतिपय सड़क दुर्घटनाएं जनपद मुख्यालय से दूर ग्रामीण/दूरस्थ स्थानों पर घ ाटित हो रही है। अतः प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चैकिंग की योजना तैयार करते समय अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गों पर प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं

6— मानवीय कारणों के साथ–साथ वाहनों की यात्रिंक दशा भी सड़क दुर्घटना का एक कारण है। अतः समय–समय पर प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को सम्मिलित करते हुए वाहनों की तकनीकी जांच कड़ाई से की जाए और वाहन के अस्वस्थ पाए जाने पर फिटनेस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

7— जनजागरूकता के माध्यम से भी सड़क प्रयोक्ताओं को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। अतः समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं।

8— सड़कों की दशा में सुधार के संबंध में ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों हेतु मानक निर्धारित किए जा चुके हैं। अतः सभी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मार्ग सर्वेक्षण करते हुए दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण कर लिया जाए और अपेक्षित सुधार का प्रस्ताव संबंधित सड़क निर्माण संस्थाओं को यथा समय प्रेषित किया जाए।

संलग्न–यथोक्त।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन, गृह, एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात, उत्तराखण्ड देहरादून।
3— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।
5— समस्त सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

File No. TCOUK-RS01-8/24/2024-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 69047)
Generated from eOffice by MAHESH SINGH, TCO-SA-MAHESH.SINGH, SENIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 28/04/2025 10:52 am